

क्रमांक प.7(4)वित्त-1(1)आ.व्य./2021

जयपुर, दिनांक: 29 सितम्बर, 2021

परिपत्र

विषय:- बजट प्रावधान/अनुपूरक अनुदान स्वीकृत कराने में सतर्कता रखने एवं वित्तीय वर्ष में उसका उपयोग करने एवं बचतों को समय पर समर्पित किये जाने के संबंध में।

इस विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक प.7(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2013 दिनांक 08.04.2013 (संख्या 5/2013), प.7(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2014 (संख्या 8/2014) दिनांक 25.08.2014, प.7(9)वित्त-1(1)आ.व्य./2014 (संख्या 7/2015) दिनांक 20.04.2015 प.7(8)वित्त-1(1)आ.व्य./2015 (संख्या 5/2016) दिनांक 25.04.2016 एवं प.7(5)वित्त-1(1)आ.व्य./2017 (संख्या 9/2017) दिनांक 19.12.2017 द्वारा समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधानों के अनुसार ही राशि व्यय करें एवं अतिरिक्त व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखें।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2019-20 में भी उल्लेख किया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा बजट मैन्युअल के नियमों की पूर्ण पालना नहीं की गई है यथा-कतिपय विभागों द्वारा अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान स्वीकृत करवाया गया क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान से भी कम रहा, अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोग स्वीकृत करवाये गये किन्तु वे अपर्याप्त/अत्यधिक अथवा अनावश्यक सिद्ध हुए, स्वीकृत कराये गये बजट से अत्यधिक राशि बचत रही एवं बचतों को समय पर समर्पित नहीं किया गया एवं व्यय का प्रवाह वर्ष पर्यन्त समान रूप से रखने की बजाय वर्ष की अंतिम तिमाही में अत्यधिक व्यय किया गया है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों से पुनः अनुरोध है कि:-

- (i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यकतानुसार अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव निर्धारित समयावधि में इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अनावश्यक एवं अत्यधिक अनुपूरक मांग स्वीकृत नहीं करवायें।
- (ii) स्वीकृत बजट प्रावधानों के अनुसार ही वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग करने एवं आधिक्य पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने की सुदृढ़ व्यवस्था करें।
- (iii) अनावश्यक बजट प्रावधान स्वीकृत नहीं करवायें जिससे बचत की स्थिति उत्पन्न नहीं हो एवं बचतों को समय पर समर्पित किया जावे।
- (iv) अनावश्यक पुनर्विनियोजन नहीं करवाया जावे।
- (v) वर्ष के दौरान व्यय का प्रवाह समान रूप से रखने का प्रयास किया जावे।

इस संबंध में कृपया बजट नियमावली के प्रावधानों की कठोरता से पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

(अखिल अरोरा)

प्रमुख शासन सचिव, वित्त

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प.7(4)वित्त-1(1)आ.व्य./2021


जयपुर, दिनांक: 29 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I & II/लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित) / बजट नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. प्रशासनिक सुधार (कोडिफिकेशन) विभाग को सात अतिरिक्त प्रतियों सहित।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को सूचनार्थ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।


(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

[10 / 2021]